

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

प्रभा देवी

बनाम

बिहार राज्य

2015 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 731

11 अप्रैल 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह और माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती
सोनी श्रीवास्तव)

विचार के लिए मुद्दा

क्या हत्या के अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने का विवादित
निर्णय संधारणीय है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता---धारा 302---हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्धि के
विरुद्ध अपील---प्रत्यक्षदर्शी गवाह की गवाही---बाल गवाह की गवाही का साक्ष्य
मूल्य---आई.ओ. की जांच न करना---घटना का मकसद---साक्ष्य की प्रशंसा।

माना गया: न तो औपचारिक एफआईआर और न ही उससे जुड़ी जब्ती सूची
प्रदर्शित की गई है और यह ठीक इसी कारण से है कि आई.ओ. गवाह के रूप
में बयान देने नहीं आया है --- जांच अधिकारी की जांच के अभाव में, जांच के
दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों और एफआईआर से लेकर जब्ती
सूची तक सभी दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रामाणिकता के संबंध में कोई विरोधाभास
नहीं निकाला जा सका और जांच रिपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हुई, इसलिए वे
साबित नहीं हुए --- अभियोजन पक्ष ने कोई विशेष कारण नहीं बताया कि
अभियुक्त/अपीलकर्ता ने मृतक पर इतना भयानक हमला क्यों किया, मृतक की
गर्दन को उसके शरीर से लगभग अलग कर दिया --- पूरा अभियोजन एक

बाल गवाह की एकमात्र गवाही पर टिका हुआ है, जो मुकदमे के दौरान घटना के तरीके में पर्याप्त और अनदेखी न किए जा सकने वाले सुधार और अलंकरण करता है और एक मकसद भी पेश करता है जो वर्तमान मामले के फर्दबयान होने के कारण उसके शुरुआती बयान में अनुपस्थित था --- बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि बाल गवाह ट्यूशन का आसान शिकार होता है --- ट्रायल कोर्ट को अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि नाबालिग गवाह से पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है जो पूछे गए प्रश्नों का तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है --- वर्तमान मामले में बाल गवाह से केवल यह पूछा गया है कि क्या वह पढ़ना जानता है, जिसका उसने सकारात्मक उत्तर दिया है और फिर उसे शपथ पढ़ने को कहा गया, इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया कि क्या वह शपथ की विषय-वस्तु को समझता है --- विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इस गवाह की क्षमता का आकलन करने के लिए कुछ और प्रासंगिक प्रश्न पूछने का कष्ट भी नहीं किया है, न ही उसके बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान गवाह के किसी भी व्यवहार को कहीं भी रिकॉर्ड किया गया है --- बाल गवाह जिसकी गवाही पर पूरा अभियोजन टिका हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दो शर्तों की परीक्षा पास नहीं कर पाया है जो हैं (i) गवाहों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना/अवसर और (ii) प्रशिक्षित किए जाने की उचित संभावना --- यह एक स्थापित कानून है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए न कि गिना जाना चाहिए और यह कि दोषसिद्धि एक ही प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर आधारित हो सकती है, यदि गवाह विश्वसनीयता की परीक्षा पास कर लेता है --- वर्तमान संदर्भ में, एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी (पीडब्लू-4) महत्वपूर्ण चूकें कीं, उसकी फर्दबयान घटना के 16 घंटे से अधिक समय बाद दर्ज की गई और

उसने मुकदमे के दौरान कहानियों पर और अधिक विचार किया, अपनी गवाही में नए तथ्य पेश किए और लोगों को नई भूमिकाएं दीं, जो वस्तुतः एक नई कहानी बनाने के बराबर है --- "सच हो सकता है" या "सच होना चाहिए" के बीच की बड़ी मानसिक दूरी, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्य के माध्यम से कवर की जानी चाहिए, इससे पहले कि अभियुक्त को एक अपराधी के रूप में दोषी ठहराया जाए, जो कि तत्काल मामले में पाटने/पार करने के लिए प्रतीत नहीं होता है --- दोषसिद्धि का आरोपित निर्णय खारिज किया गया --- अपील की अनुमति दी गई। (पैरा- 34-36, 39, 45, 47, 51, 54-58)

न्याय दृष्टान्त

लहू कमलाकर पाटिल एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 6 एससीसी 417; भगवान सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2003) 3 एससीसी 21; पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1998) 7 एससीसी 177; दिगंबर वैष्णव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2019) 4 एससीसी 522; के. वेंकटेश्वरलू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2012) 8 एससीसी 73; प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 777; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबू राम, (2000) 4 एससीसी 515; मुंशी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (2002) 1 एससीसी 351; मध्य प्रदेश राज्य बनाम. बलवीर सिंह, 2025 एससीसी ऑनलाइन 390- पर भरोसा।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता-धारा 302; दंड प्रक्रिया संहिता-धारा 374(2), 389(1), 161, 313, 319; भारतीय साक्ष्य अधिनियम; धारा 134, 118

मुख्य शब्दों की सूची

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील; हत्या; प्रत्यक्षदर्शी गवाह; बाल गवाह; घटना का उद्देश्य; आई.ओ. की जांच न करना; फर्दबयान दाखिल करने में देरी; साक्ष्य की प्रशंसा; प्रदर्श अंकित न करना; संदेह का लाभ।

प्रकरण से उत्पन्न

सत्र वाद संख्या 1074/2007 में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III, पूर्णिया की अदालत द्वारा दिनांक 29.06.2025 को दोषसिद्धि एवं सजा का निर्णय एवं आदेश पारित किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री अमरेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता; श्री सरोज कुमार चौधरी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से: सुश्री शशि बाला वर्मा, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 731

थाना-कांड संख्या-27 वर्ष-2007 थाना-अनगढ़ जिला-पूर्णिया से उत्पन्न

=====

प्रभा देवी, पत्नी- मदन लाल हरिजन, निवासी- ग्राम-बिगबार, थाना अनगढ़,
जिला पूर्णिया।

... ..याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरवादी

=====

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अमरेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

श्री सरोज कुमार चौधरी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ता : सुश्री शशि बाला वर्मा, सा.लो.अ.

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव

सीएवी निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सोनी श्रीवास्तव)

दिनांक: 11-04-2025

वर्तमान अपील धारा 374(2) सहपठित धारा 389(1) दंड

प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'दं.प्र.सं.' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत

मामला संख्या 27/2007 दिनांक 27.06.2007, रौता (अनगढ़) थाना से

उत्पन्न सत्र वाद संख्या 1074/2007 में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III, पूर्णिया की अदालत द्वारा दिनांक 29.06.2025 को पारित दोषसिद्धि एवं सजा के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिससे और जिसके अंतर्गत एकमात्र अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (इसके बाद 'भा. दं. सं.' के रूप में संदर्भित) के तहत दोषी ठहराया गया है और उसे 50,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. सुचक प्रेम लाल हरिजन (अ. सा.-4) के दिनांक 27.06.2007 को प्रातः 10.30 बजे दर्ज फर्दबयान पर आधारित प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 26.06.2007 को सुचक अपने पिता महेश लाल हरिजन (मृतक) के साथ मझगवां हाट (बाजार) गया था तथा उसके पिता ने व्यापारी से मिट्टी का तेल लेकर सुचक को दिया तथा कहा कि तुम रुको, मैं मछली लेने जा रहा हूँ। ऐसा आरोप है कि कुछ देर बाद सुचक के पिता ने मछली उसे दे दी तथा कहा कि तुम अपने घर जाओ तथा गेहूं बेचकर मसाले व अन्य सामान लाने को कहा, जिसके बाद सुचक मछली लेकर अपने घर आया तथा गेहूं बेचने के लिए पुनः गांव की दुकान पर चला गया। इसी बीच अपीलकर्ता और उसके पिता दुकान के पास एकत्र हुए और अपीलकर्ता प्रभा देवी ने सुचक के पिता से झगड़ा किया और उनकी लुंगी भी फाड़ दी, जिसके बाद सुचक अपीलकर्ता प्रभा देवी के घर भागकर गया और उसके पति चौकीदार मदन लाल हरिजन को उक्त झगड़े की जानकारी दी और झगड़ा शांत कराने को कहा, लेकिन बाद में उसके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया। सुचक ने अपने फर्दबयान में आगे कहा है कि जब वह लुंगी ले रहा था,

तब उसके पिता और प्रभा देवी दोनों प्रभा देवी के घर आए, जहां उसने अपने पिता को मदन लाल के साथ बैठे देखा और इसी बीच प्रभा देवी ने घर से तलवार लाकर सुचक के पिता के गर्दन पर दो बार वार किया, जिससे सुचक के पिता की गर्दन कट गई और वह गिर पड़े। आगे बताया गया है कि सुचक अपने घर पहुंचा और घटना की जानकारी अपनी मां को दी, जिस पर उसकी मां रोने-चीखने लगी और अन्य ग्रामीण भी घटनास्थल पर आ गए। सुचक ने अपने फर्दबयान में बताया है कि घटना शाम करीब 5.45 बजे हुई। फर्दबयान सुचक को पढ़कर सुनाया गया, जिसे उसने समझ लिया था और उसे सही पाते हुए उसने दो गवाहों (परीक्षित नहीं) के समक्ष उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे।

3. उपर्युक्त फर्दबयान के आधार पर रौता (अनगढ़) थाना कांड संख्या 27/2007 के तहत 27.06.2007 को अपराह्न 3.00 बजे धारा 302 भा. दं. सं. के अंतर्गत एकमात्र अभियुक्त वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के बाद तथा अपीलकर्ता के विरुद्ध मामला सत्य पाए जाने पर पुलिस ने अपीलकर्ता के विरुद्ध धारा 302 भा. दं. सं. के अंतर्गत 27.08.2007 को आरोप पत्र समर्पित किया था। पूर्णिया के विद्वान सी.जे.एम. न्यायालय ने दिनांक 26.10.2007 के आदेश द्वारा भा. दं. सं. की धारा 302 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया था। केस रिकॉर्ड 30.11.2007 को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और तदनुसार सत्र मामला संख्या 1074/2007 संस्थित किया गया, जिसके बाद विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा 04.01.2008 को भा. दं. सं. की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए मुकदमे के दौरान पांच गवाहों से पूछताछ की, जिनमें अ. सा.-1 पंडित लाल हरिजन (मृतक का सह-ग्रामीण और चचेरा भाई), अ. सा.-2 अन्तिलाल हरिजन (सह-ग्रामीण), अ. सा.-3 जग लाल हरिजन (मृतक का भाई), अ. सा.-4 प्रेम लाल हरिजन (मृतक का बेटा और सुचक भी) और अ. सा.-5 डॉ. सी. एम. सिंह शामिल थे, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था। हालांकि मामले के जांच अधिकारी (जिसे इसके बाद 'आई. ओ.' कहा गया है) से पूछताछ नहीं की गई है।

5. बचाव पक्ष ने भी अपने पक्ष में एक गवाह, प्रेमवती, जो मृतक की पत्नी और सुचक की माँ हैं, को बचाव साक्षी-1 के रूप में परीक्षण किया है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमरेश कुमार सिन्हा ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष का मामला विसंगतियों, अलंकरणों और विरोधाभासों से भरा हुआ है और उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ है। यह अत्यंत दृढ़ता से तर्क दिया गया है कि पूरा अभियोजन पक्ष का मामला एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर आधारित है और कथित प्रत्यक्षदर्शी एक दस वर्षीय लड़का है, जो नाबालिग होने के कारण, अपने फर्दबयान में और मुकदमे के दौरान भी जो बयान दिया है, उसे देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए वह एक विश्वसनीय गवाह नहीं है। इस गवाह यानी सुचक (अ. सा.-4) के साक्ष्य के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि उसने मुकदमे के दौरान अपने बयान में फर्दबयान में दिए गए अपने प्रारंभिक बयान से विचलन किया है। घटना स्थल के सम्बन्ध में सुचक ने अपने फर्दबयान में बताया है कि घटना का प्रथम भाग अर्थात् झगड़ा दुकान के सामने हुआ था जबकि

मारपीट की वास्तविक घटना अपीलार्थी प्रभा देवी के घर के अन्दर हुई थी, तथापि उसने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि घटना वास्तव में घर के किस भाग में घटित हुई। फिर भी, अपने साक्ष्य में अ. सा.-4 प्रेम लाल हरिजन ने साक्ष्य के पैरा 23 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्रभा देवी (अपीलार्थी) के घर के बरामदे में खून से सनी चटाई (चटाई) पायी गयी थी। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एफआईआर में वर्णित घटना का तरीका, मुकदमे के दौरान बाद में घटित हुई घटना से काफी भिन्न है, क्योंकि सुचक ने अपने बयान के पैरा 20 में अपीलकर्ता प्रभा देवी के पति की भूमिका का परिचय दिया है और कहा है कि यह अपीलकर्ता का पति था जो मृतका की छाती पर चढ़ गया और उसके बाद, अपीलकर्ता प्रभा देवी ने मृतका की गर्दन पर तलवार से वार किया। सुचक के पिता (मृतका) द्वारा अपीलकर्ता से झगड़ा करने के बाद घर वापस आने और खाना खाने के बाद, अपीलकर्ता द्वारा अपने पति मदन लाल के माध्यम से अपने घर बुलाए जाने की कहानी भी मुकदमे के दौरान सामने आई, जो फर्दबयान में गायब थी और ऐसी महत्वपूर्ण चूकें एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में सुचक (अ. सा.-4) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि जहां तक विवाद के मकसद या कारण का सवाल है, फर्दबयान इस पर पूरी तरह चुप है और बाद में मुकदमे के दौरान इस तथ्य को पेश करके कारण विकसित किया गया है कि अपीलकर्ता मृतक से 8,000 रुपये मांग रहा था जिसे उसने देने से इनकार कर दिया। सुचक के ऐसे असंगत बयान पर विचार करते हुए, जो एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह और नाबालिग भी है, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि वह बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है और इस गवाह की

गवाही पर भरोसा करके दोषी के निष्कर्ष पर पहुंचना असुरक्षित और विनाशकारी होगा।

8. मुकदमे के दौरान जिन अन्य गवाहों से पूछताछ की गई है, उनके बारे में दलील यह है कि वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं और वापस बुलाने पर उन्होंने कहा है कि उन्हें घटना के दो दिन बाद घटना के बारे में पता चला। यह भी कहा गया है कि बचाव पक्ष की गवाह, जो मृतक की पत्नी है, के बयान ने अभियोजन पक्ष के पूरे मामले को ध्वस्त कर दिया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अलग-अलग सत्रों में एसएसटी 1074/2007 में सुचक (अ. सा.-4) के बयान की ओर भी इशारा किया है, जिसे बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श-बी के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसके अवलोकन से पता चलता है कि इस गवाह ने वर्तमान मुकदमे में उसके द्वारा प्रस्तुत कहानी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसके बजाय उसने कहा है कि वह घटना के समय अपने घर में था और जब वह अपीलकर्ता प्रभा देवी के घर गया, तो उसने अपने पिता को मृत पाया और उनकी गर्दन पर कट का निशान था। यह भी बताया गया है कि प्रतिपरीक्षण में सुचक ने कहा है कि जांच अधिकारी ने उसका बयान सादे कागज पर लिया है। बचाव पक्ष की ओर से पृथक सत्र परीक्षण में पारित दोषमुक्ति का निर्णय, जिसे प्रदर्श-ए के रूप में चिह्नित किया गया है, भी हमारे संज्ञान में लाया गया है।

9. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस मुद्दे पर निर्णय और दोषसिद्धि तथा सजा के आदेश की संधारणीयता पर भी सवाल उठाया है कि मामले के जांच अधिकारी की जांच नहीं की गई है और उनकी जांच न किए जाने से बचाव पक्ष के प्रति अत्यधिक पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

10. इसके विपरीत, राज्य की विद्वान सा.लो.अ. सुश्री शशि बाला वर्मा ने तर्क किया है कि मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ इस न्यायालय द्वारा आरोपित निर्णय के विरुद्ध हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं रखती हैं, क्योंकि वर्तमान अपीलकर्ता प्रभा देवी द्वारा मृतक की गर्दन पर तलवार से वार करने का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि सुचक (अ. सा.-4) मृतक का पुत्र है और ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि वह किसी को झूठा फंसाए और वास्तविक हमलावर को बेदाग छोड़ दे। हमारे समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सुचक (अ. सा.-4) नाबालिग होने के बावजूद पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह प्रतीत होता है, क्योंकि उसने मुकदमे में अपने बयान के दौरान फर्दबयान में दिए गए अपने बयान का पर्याप्त रूप से समर्थन किया है। यह कहा गया है कि कुछ छोटी-मोटी विसंगतियाँ या अतिशयोक्ति हो सकती हैं, लेकिन इससे मामले की जड़ तक नहीं पहुँचा जा सकता। राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि घटनास्थल सिद्ध है क्योंकि सभी गवाहों द्वारा लगातार यह कहा गया है कि शव घटना के तुरंत बाद अपीलकर्ता के घर पर पाया गया था। सुचक (अ. सा.-4) का कथन अ. सा.-1 और अ. सा.-2 के साक्ष्य द्वारा भी समर्थित है जो सुचक द्वारा उठाए गए शोर (अलार्म) पर तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गए थे। हालांकि, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस दलील के जवाब में कि वापस बुलाने पर इन गवाहों ने अपने मुख्य परीक्षण के विपरीत बयान दिया है, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उक्त वापस बुलाने की कार्यवाही तीन साल से अधिक समय बाद की गई थी जो इन गवाहों की सत्यता पर संदेह पैदा करती है। गवाहों के साक्ष्य से मकसद का अस्तित्व भी साबित हुआ है। राज्य के विद्वान वकील ने आगे कहा कि हत्या का हथियार यानी तलवार भी अपीलकर्ता

प्रभा देवी के घर से उसके बिस्तर/गद्दे के नीचे से बरामद की गई थी और चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए मौखिक विवरण की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं।

11. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के अलावा, हमने मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन किया है। आगे बढ़ने से पहले, साक्ष्य पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करना आवश्यक है।

12. अ. सा.-1 (पंडित लाल हरिजन) मृतक का चचेरा भाई है और उसने घटना का सुनी-सुनाई बातें बताई हैं। उसने बताया है कि घटना 15 से 16 महीने पहले शाम करीब 5:45 बजे हुई थी, जब वह अपने घर पर था और सुचक प्रेम लाल हरिजन (अ. सा.-4) द्वारा शोर मचाने पर वह घटनास्थल पर पहुंचा और अपीलकर्ता के घर के बरामदे में महेश लाल हरिजन का शव पाया। उसने आगे बताया है कि सुचक (अ. सा.-4) ने उसे बताया था कि अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या की है। इस गवाह ने आगे बताया है कि मृतक की गर्दन कटी हुई थी और वह केवल दाहिनी ओर से शरीर से जुड़ी हुई थी। उसे पता चला कि कट का घाव तलवार से हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपीलकर्ता के पति मदन लाल चौकीदार के कहने पर मुखिया, सरपंच आदि को सूचित किया तथा एक अन्य व्यक्ति के माध्यम से पुलिस थाने को भी सूचना भेजी। इस गवाह ने अदालत में अपीलकर्ता की पहचान की तथा आगे कहा कि पुलिस आई थी तथा जांच रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर उसने अपनी राय दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता प्रभा देवी के गद्दे/बिस्तर के नीचे से तलवार बरामद की थी तथा जांच अधिकारी ने उसे पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा था। जहां तक इस गवाह से प्रतिपरीक्षण का सवाल है, ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त तिथि अर्थात्

11.09.2008 को अपीलकर्ता के संबंधित अधिवक्ता को बार-बार बुलाने के बावजूद कोई प्रतिपरीक्षण नहीं की गई, इस गवाह को मुक्त कर दिया गया। यह भी प्रतीत होता है कि इस गवाह को मुक्त किये जाने की तिथि के तीन वर्ष से अधिक समय पश्चात, दिनांक 08.11.2011 के आदेश द्वारा गवाह को एक बार फिर से बुलाया गया तथा दिनांक 16.11.2011 को प्रतिपरीक्षण की गई तथा बचाव पक्ष द्वारा उसके बयान को पुनः शपथपूर्वक लिया गया, जिसमें गवाह ने कहा है कि उसे घटना के दो दिन पश्चात घटना के बारे में पता चला।

13. अ. सा.-2, अंतीलाल हरिजन अपीलकर्ता का श्रमिक है और साथ ही एक सुनी-सुनाई बात का गवाह भी है। अपने मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कहा है कि घटना एक वर्ष पूर्व शाम 5.30 से 5.45 बजे के बीच हुई थी, जब वह अपने घर पर था। उसने कहा कि उसका घर अपीलकर्ता प्रभा देवी के घर के बगल में है और वह शोर मचाने पर उसके घर आया और वहां जाने पर उसे सुचक (अ. सा.-4) ने बताया कि अपीलकर्ता प्रभा देवी ने मृतक को तलवार से काट दिया है और भाग गई है। उसने यह भी बयान दिया है कि घटना अपीलकर्ता के बरामदे में हुई थी और पुलिस के आने पर पोस्टमार्टम के लिए दस्तावेज/मांग की गई थी, जिसके बाद उसकी और अ. सा.-1 की निशानी ली गई थी। अपने बयान के पैराग्राफ 3 में उन्होंने कहा है कि पुलिस ने अपीलकर्ता प्रभा देवी के घर से तलवार बरामद की है और आगे कहा है कि वह अपीलकर्ता को पहचानते हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अ. सा.-2 के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि इस गवाह को मुक्त किए जाने की तिथि के तीन साल से अधिक समय बाद, इस गवाह को दिनांक 08.11.2011 के आदेश के तहत वापस बुलाया गया और 16.11.2011 को प्रतिपरीक्षण की गई और बचाव पक्ष द्वारा उसका बयान नए सिरे से शपथ पर

लिया गया जिसमें गवाह ने कहा है कि उसे घटना के दो दिन बाद घटना के बारे में पता चला।

14. मृतक का भाई अ. सा.-3 जग लाल हरिजन भी एक सुनी-सुनाई बात का गवाह है। अपने मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने स्वीकार किया है कि मृतक महेश लाल हरिजन उसका भाई था और उसकी हत्या 16 महीने पहले शाम करीब 6 बजे हुई थी, जब वह अपने घर से करीब 20 बीघा की दूरी पर मवेशियों के लिए चारा लेने गया था। सुचक (अ. सा.-4) द्वारा यह बताए जाने पर कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है, वह अपीलकर्ता प्रभा देवी के आंगन में गया तो पाया कि मृतक की गर्दन कटी हुई थी और उसके भतीजे (अ. सा.-4) ने उसे बताया कि अपीलकर्ता प्रभा देवी ने तलवार से हत्या की है और भाग गई है। उसने आगे कहा है कि सूचना मिलने पर अगले दिन पुलिस आई थी और अपीलकर्ता प्रभा देवी के गद्दे/बिस्तर के नीचे से खून से सनी तलवार बरामद की थी। पुलिस ने उसके भतीजे यानी सुचक के बयान के साथ ही उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया भेज दिया। उसने न्यायालय में अपीलकर्ता की पहचान करने का दावा किया है। अपने प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने अपीलकर्ता और मृतक के बीच झगड़े के मुद्दे पर अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है। उसने आगे कहा है कि जब वह आंगन में पहुंचा तो उसने मृतक के शव को देखा जिसकी गर्दन धड़ से अलग थी और शरीर दो भागों में था। इस गवाह ने आगे कहा है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने पाया कि घटनास्थल पर करीब 100-150 लोग जमा थे और उन्होंने कुछ गवाहों के नाम भी लिए थे। आगे कहा गया है कि घटना के अगले दिन सुबह 10.30 से 10.45 बजे के बीच पुलिस पहुंची थी, जबकि वह घटनास्थल पर मौजूद था और उसने अपीलकर्ता प्रभा देवी के भाई राम प्रसाद

चौकीदार का बयान लिया था और उसके भतीजे यानी सुचक से भी कुछ पूछताछ की थी। उन्होंने आगे कहा है कि एक घंटे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इस गवाह ने पुलिस द्वारा शव के तैयार किए गए दस्तावेज पर अपनी राय दी और यह गवाह शव के पोस्टमार्टम के लिए शव के साथ पूर्णिया भी गया।

15. अब हम मृतक के पुत्र प्रेम लाल हरिजन के साक्ष्य पर विचार करते हैं, जिसकी अ. सा.-4 के रूप में जांच की गई है और जिसने घटना का प्रत्यक्षदर्शी विवरण दिया है। उसका साक्ष्य दर्ज करने से पहले, अदालत ने उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे हैं और उसने उनका उत्तर दिया है और शपथ भी पढ़ी है। अपने मुख्य परीक्षण में, इस गवाह ने शुरू में एफआईआर में बताए गए तथ्यों को दोहराया है, हालांकि, बाद में यह कहा गया है कि वह अपीलकर्ता के घर गया और उसके पति मदन लाल हरिजन को अपीलकर्ता प्रभा देवी और उसके पिता के बीच झगड़े के बारे में बताया। यह आगे कहा गया है कि प्रभा देवी ने अपने पति को उसके पिता को बुलाने के लिए भेजा और उसी समय उसके पिता प्रभा देवी के आंगन में गए और यह गवाह भी उनके साथ गया। अ. सा.-4 ने आगे कहा है कि अपीलकर्ता के पति मदन लाल हरिजन ने प्रभा देवी के कहने पर अपने पिता से आंगन में पूछा कि वह पैसे कब देंगे, जिस पर उनके पिता ने जवाब दिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं और रविवार को लिए जा सकते हैं। प्रभा देवी ने जोर देकर कहा कि पैसे तुरंत दिए जाएं, जिस पर सुचक के पिता ने जवाब दिया कि उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था और वहां से जाने लगे, जिसके बाद अपीलकर्ता के पति मदन लाल हरिजन ने अपने पिता पर दो लाठियां मारी, जिससे वह गिर गए और मदन लाल हरिजन फिर उनकी छाती पर चढ़ गए और उसके बाद प्रभा देवी ने

उनके पिता की गर्दन पर तलवार से तीन वार किए, जिसके परिणामस्वरूप गर्दन कट गई और केवल कुछ हिस्सा शरीर से जुड़ा रहा। सुचक ने शोर मचाया और उसकी मां यह देखकर बेहोश हो गई और बाद में सुचक भी बेहोश हो गया। यह कहा गया है कि पुलिस अगले दिन सुबह 11 बजे पहुंची और उसका बयान लिया तथा अपीलकर्ता प्रभा देवी के गद्दे/बिस्तर के नीचे से खून से सनी तलवार भी बरामद की। सुचक ने कहा है कि उसने फर्दबयान पर अपना हस्ताक्षर किया था, जिसकी उसने पहचान की थी और उसे प्रदर्श-1 के रूप में अंकित किया गया है। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि तलवार की बरामदगी का दस्तावेज पुलिस ने बनाया था। उसने कटघरे में खड़े अपीलकर्ता की पहचान की है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि प्रभा देवी उसकी मां है और जगलाल हरिजन उसका चाचा है, जिसके साथ वह अदालत आया था और उसने यह भी कहा है कि उसकी मां बीमार थी और उसने अपने चाचा द्वारा किसी भी प्रकार की सिखाई-पढ़ाई से इनकार किया है। अपनी प्रतिपरीक्षण के पैरा संख्या 8 में इस साक्षी ने कहा है कि वह गेहूं बेचने के बाद घर नहीं गया था और उसने अपने पिता और प्रभा देवी के बीच झगड़ा होते देखा था। उन्होंने आगे बताया कि वह अपने घर गए थे, जहां उन्होंने देखा कि उनके पिता और अपीलकर्ता प्रभा देवी के बीच झगड़ा हो रहा था और वे मृतक से 8,000 रुपये मांग रहे थे, जिस पर उनके पिता रुपये देने में असमर्थता जता रहे थे और कह रहे थे कि रविवार को दे पाएंगे। इस साक्षी ने आगे बताया कि उनके पिता वहां से वापस घर आए और उनके खाना खाने के बाद अपीलकर्ता प्रभा देवी ने अपने पति को सुचक के पिता को बुलाने के लिए भेजा और उन्होंने भी रुपये की मांग की। आगे बताया गया है कि मदन लाल हरिजन मृतक की छाती पर चढ़ गए, जबकि अपीलकर्ता प्रभा देवी ने उनके पिता की

गर्दन पर तलवार से वार किया। इस साक्षी ने कहा है कि घटना के एक दिन बाद पुलिस ने उसका बयान लिया था, जिसमें उसने मदन लाल हरिजन द्वारा उसके पिता की छाती पर चढ़ने और प्रभा देवी (अपीलार्थी) द्वारा 8,000/- रुपए की मांग किए जाने की बात बताई थी। इसके अलावा अपने प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 23 में इस साक्षी ने कहा है कि मृतक जिस खून से सनी चटाई पर बैठा था, उसे पुलिस ने जब्त नहीं किया। इस साक्षी ने आगे कहा है कि उसने शोर मचाया था कि उसके पिता पर हमला होने वाला है और शोर मचने पर अंतीलाल हरिजन (अ. सा.-2) सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे, उसके बाद पंडित लाल हरिजन (अ. सा.-1) और जग लाल हरिजन (अ. सा.-3) और अन्य लोग पहुंचे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि वह बेहोश हो गया था और रात 12 बजे अपने घर पर होश में आया तो उसने खुद को अपनी मां के साथ लेटा हुआ पाया।

16. डॉ. सी.एम. सिंह (अ. सा.-5) वह चिकित्सक हैं जिन्होंने 28.06.2007 को मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था, जब वे सदर अस्पताल, पूर्णिया में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे और उन्होंने निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाईं:-

“(i) बाहरी जांच में सभी चार अंगों में कठोरता पाई गई। पूरी गर्दन पर कटा हुआ घाव, पूरी संरचना के साथ, केवल गर्दन के पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ।

17. अ. सा.-5 ने कहा है कि मृत्यु के बाद का समय 24 घंटे के भीतर था और मृत्यु का कारण तेज धार वाले हथियार से गर्दन में आई चोट के कारण रक्तस्राव और सदमा था। इस साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है, जिसे प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित किया गया

है। अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के आकार का उल्लेख नहीं किया है तथा आगे कहा है कि गर्दन पर लगी चोट तलवार जैसे सीधे धारदार काटने वाले हथियार से लगी हो सकती है।

18. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, निचली अदालत ने अपीलार्थी प्रभा देवी का बयान धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किया क्योंकि वह अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को व्यक्तिगत रूप से समझाने में सक्षम थी, हालांकि, उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और केवल आरोपों से इनकार किया है।

19. बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह प्रेमवती का भी परीक्षण किया गया, जो मृतक की पत्नी और सुचक की मां है। इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसके पति महेश लाल हरिजन की मृत्यु पांच वर्ष पूर्व हो गई थी और मृत्यु के दिन वह अपने पुत्र प्रेम लाल हरिजन (अ. सा.-4) के साथ मझगावां हटिया गए थे, जहां से उनका पुत्र प्रेम लाल हरिजन वापस घर आया और शाम को उसने सुना कि उसके पति सड़क पर गिर गए हैं, जिसके बाद वह अपने पुत्र प्रेम लाल हरिजन (अ. सा.-4) के साथ वहां गईं और अपने पति को सड़क पर मृत पाया। उसने आगे कहा है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उसके पति की हत्या किसने की। उसने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 2 में आगे कहा है कि वह प्रभा देवी को जानती है और उसके साथ उसके सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, साथ ही उसके साथ बहन का रिश्ता भी है। उसने आगे स्पष्ट बयान दिया है कि प्रभा देवी ने उसके पति की हत्या नहीं की है। अपनी प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि उसके बेटे प्रेम लाल हरिजन (अ. सा.-4) को लोगों ने घटना की सूचना दी थी और जब वह घटनास्थल पर गई तो उसने पाया कि उसके पति की गर्दन ट्रंक से लटक रही

थी। उसने यह भी कहा है कि घटनास्थल आवासीय क्षेत्र है और आरोपियों का घर भी वहीं है।

20. बचाव पक्ष ने उपर्युक्त गवाह के मौखिक साक्ष्य के अलावा दो दस्तावेज भी रिकॉर्ड पर लाए हैं। प्रदर्श-ए एसएसटी संख्या 1074/2007 में पारित दिनांक 19.12.2011 के निर्णय की प्रमाणित प्रति है और प्रदर्श-बी एसएसटी संख्या 1074/2007 में दर्ज अ. सा.-4 प्रेम लाल हरिजन के बयान की प्रमाणित प्रति है।

21. विद्वत विचारण न्यायालय ने विचारण में प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना, विश्लेषण और जांच पर उपरोक्त अपीलार्थी को अपराधों का दोषी पाया है और अपने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उसे कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

विश्लेषण और विचार

22. हमने विद्वत विचारण न्यायालय के विवादित निर्णय का अध्ययन किया है, अभिलेख पर मौजूद समस्त सामग्री की समीक्षा की है और अपीलकर्ता के अधिवक्ता तथा राज्य के लिए विद्वत सा.लो.अ. द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर गहराई से विचार किया है।

23. एफआईआर की सामग्री पर पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है और उसका संक्षिप्त अध्ययन करने पर पता चलता है कि मृतक प्रेम लाल हरिजन का पुत्र घटना का सुचक और एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है। उसने एफआईआर में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अपने पिता (मृतक) को मदन लाल हरिजन (अपीलकर्ता के पति) के साथ बैठे देखा और इसी बीच, अपीलकर्ता प्रभा देवी अपने घर से तलवार लेकर आई और मृतक की गर्दन पर दो बार किए, जिससे उसकी गर्दन पर कट लगने से उसकी मौत हो गई। यहां

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जबकि सुचक (अ. सा.-4) के हस्ताक्षर को प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया है, न तो औपचारिक एफआईआर और न ही उसके साथ संलग्न जब्ती सूची अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई है।

24. उपरोक्त परिच्छेदों में की गई चर्चाओं को देखने पर यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्ष में परीक्षित पांच गवाहों में से अ. सा. -4 प्रेम लाल हरिजन, प्रश्नगत घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है, जबकि अ. सा.-1 पंडित लाल हरिजन, अ. सा.-2 अंतीलाल हरिजन तथा अ. सा.-3 जय लाल हरिजन वे गवाह हैं, जो घटना के पश्चात सुचक (अ. सा.-4) द्वारा शोर मचाए जाने पर घटनास्थल पर पहुंचे थे। गवाहों की गवाही से यह स्पष्ट होता है कि सुचक (अ. सा.-4) ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने का प्रयास किया है, लेकिन उसकी कम उम्र, उसके फर्दबयान दर्ज करने में हुई देरी तथा उसके साक्ष्य में आई अन्य विसंगतियों और कमियों की पृष्ठभूमि में उसके साक्ष्य के पूर्णतः स्वीकार्य होने का प्रश्न उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की मांग करता है। जहां तक अन्य तीन गवाहों अ. सा.-1 पंडित लाल हरिजन, अ. सा.-2 अंती लाल हरिजन और अ. सा.-3 जग लाल हरिजन का सवाल है, जिन्होंने घटना के बारे में अपनी सुनी-सुनाई बातों के आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले में समर्थन दिया है, यह सच है कि उन्होंने इस तथ्य का समर्थन किया है कि मृतक का शव अपीलकर्ता प्रभा देवी के घर के बरामदे/आंगन में मिला था और वे सभी सुचक (अ. सा.-4) द्वारा शोर मचाने पर घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिसने तब उनके सामने घटना के बारे में बताया था। इसके अलावा, ये गवाह इस तथ्य का भी समर्थन करते हैं कि अपीलकर्ता प्रभा देवी के गद्दे/बिस्तर के नीचे से खून से सनी तलवार बरामद की गई थी, जिसके संबंध में जब्ती सूची भी तैयार की गई थी। जब्ती

सूची के अलावा, गवाहों ने मृतक के शव की जांच रिपोर्ट तैयार करने के बारे में भी बताया है, जिस पर उन्होंने अपनी छाप भी डाली है। लेकिन न तो जब्ती सूची और न ही जांच रिपोर्ट साबित हुई है क्योंकि दोनों ही दस्तावेजों को मामले में प्रदर्श के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है और एफआईआर के साथ संलग्न जब्ती सूची का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि इसमें एसएचओ सी. कुमार के साथ दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं, जिनमें से किसी की भी अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच नहीं की गई है।

25. इस स्तर पर, यह उल्लेख करना उचित होगा कि उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के गवाहों में से, अ. सा.-1 पंडित लाल हरिजन और अ. सा.-2 अंतीलाल हरिजन को घटना के लगभग तीन वर्ष से अधिक समय बाद वापस बुलाया गया था और इस तरह वापस बुलाए जाने पर ही इन गवाहों से नए सिरे से प्रतिपरीक्षण की गई, जिसमें उन्होंने एक नई कहानी पेश की है कि उन्हें घटना के दो दिन बाद घटना के बारे में पता चला, जो उनके मुख्य परीक्षा में दिए गए उनके पहले के बयान को झुठलाता है, जिससे उनके साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय हो जाते हैं और उनकी गवाही को बदनाम करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता पर हमला करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से भी यही मुद्दा उठाया गया है।

26. हालांकि यह अजीब लगता है कि अभियुक्तों के अधिवक्ताओं को बार-बार बुलाने के बावजूद, उन्होंने अ. सा.-1 और अ. सा.-2 की प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं होना चुना, इसलिए अपीलकर्ता की ओर से कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हो सकी, जिसके बाद इन गवाहों को 11.01.2008 को मुक्त कर दिया गया। तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बाद, इन गवाहों

को 08.08.2011 के आदेश द्वारा प्रतिपरीक्षण के लिए वापस बुलाया गया, जो फिर 16.11.2011 को आयोजित किया गया। गवाहों की रिहाई की तारीख और उनके वापस बुलाए जाने के बीच अत्यधिक देरी और समय अंतराल, अदालत के मन में संदेह और चिंता दोनों पैदा करता है। यह तर्क नहीं है कि दो गवाहों अ. सा.-1 पंडित लाल हरिजन और अ. सा.-2 अंतीलाल हरिजन, जिन्होंने शुरू में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था, ने तीन साल बीत जाने के बाद अपना बयान क्यों बदल दिया।

27. हालांकि, अ. सा.-1 और अ. सा.-2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस घटनास्थल पर कब पहुंची थी और पुलिस ने उनके बयान कब दर्ज किए थे। जो भी हो, उनके साक्ष्य पर विचार करने के बाद एकमात्र निष्कर्ष यही निकलता है कि ऐसे अस्थिर रुख वाले गवाह की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं होगा।

28. अ. सा.-3 जग लाल हरिजन के साक्ष्य पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी सुनी-सुनाई बातों पर आधारित गवाह है और उसका बयान भी अ. सा.-4 प्रेम लाल हरिजन द्वारा बताई गई घटना की सूचना पर आधारित है। यद्यपि यह गवाह खून से सनी तलवार बरामद होने और अपीलकर्ता के आंगन में पड़ी लाश की जांच रिपोर्ट तैयार किए जाने के तथ्य का समर्थन करता है, लेकिन उसके साक्ष्य के पैराग्राफ संख्या 2 और 9 से ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस घटना के अगले दिन सुबह 10.30 से 10.45 बजे के बीच आई थी, जबकि मृतक की लाश पूरी रात अपीलकर्ता प्रभा देवी के घर में पड़ी रही। उसके साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए अपने घर से काफी दूर चला गया था और फिर भी

दावा करता है कि वह अ. सा. -4 प्रेम लाल हरिजन द्वारा शोर मचाने पर घटनास्थल पर पहुंचा था। इस गवाह का साक्ष्य भी संदेह से मुक्त नहीं है।

29. जहां तक सूचक (अ. सा.-4) की गवाही की विश्वसनीयता का सवाल है, यह ध्यान में रखना होगा कि घटना के समय वह दस साल का लड़का था और जब मुकदमे के दौरान उसका बयान दर्ज किया गया, तब उसकी उम्र लगभग 11 साल थी। अ. सा.-4, एक बाल गवाह होने के नाते, निस्संदेह एक कमजोर गवाह है और घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह होने के नाते उसके साक्ष्य की अत्यधिक सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए, क्योंकि कोई इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि ऐसा गवाह बहकावे में आ सकता है और घटना का गलत संस्करण दे सकता है। मुकदमे के दौरान, अ. सा.-4 प्रेम लाल हरिजन ने अपीलकर्ता प्रभा देवी के पति मदन लाल द्वारा मृतक पर दो लाठियों से वार करने की नई कहानी पेश की, जिससे वह गिर गया, जिसके बाद उक्त मदन लाल उसकी छाती पर चढ़ गया, जबकि अपीलकर्ता प्रभा देवी ने तलवार लेकर मृतक की गर्दन पर तीन तलवारों से वार किए। उन्होंने अपने साक्ष्य के दौरान एक मकसद भी पेश किया और कहा कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच विवाद उसके पिता द्वारा अपीलकर्ता को 8,000/- रुपये देने से इनकार करने के कारण हुआ था। इसके अलावा, उनके साक्ष्य से यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने घटना के तरीके के संबंध में अपने फर्दबयान से काफी हद तक विचलन किया है। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, फर्दबयान में बताए गए तथ्यों के वर्णन के विपरीत, अ. सा. -4 प्रेम लाल हरिजन ने अपने साक्ष्य में कहा है जैसा कि उसके साक्ष्य के पैराग्राफ संख्या 4 और 19 से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता और मृतक के बीच मौखिक विवाद और हाथापाई के बाद, उसके पिता घर वापस आ गए थे और

फिर अपीलकर्ता प्रभा देवी ने अपने पति को उसके पिता को बुलाने के लिए भेजा था और इसी बुलावे पर उसके पिता अपीलकर्ता के घर गए थे। इससे फर्दबयान में बताए गए घटनाक्रम का पूरा क्रम बदल जाता है। उसके साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि पुलिस अगले दिन सुबह 11 बजे घटनास्थल पर पहुंची थी और तब उसका बयान लिया गया था। हालांकि इस गवाह ने अपीलकर्ता प्रभा देवी के बिस्तर/गद्दे के नीचे से तलवार बरामद होने और शव से संबंधित दस्तावेज (जांच रिपोर्ट) तैयार होने के तथ्य का भी समर्थन किया है, लेकिन वर्तमान मामले में न तो जब्ती सूची और न ही जांच रिपोर्ट साक्ष्य के तौर पर पेश की गई है। इस गवाह ने अपीलकर्ता के बरामदे में पड़े खून से सने चटाई का भी जिक्र किया है, लेकिन उसे भी जांच अधिकारी ने जब्त नहीं किया है। बचाव पक्ष ने इस गवाह को यह भी सुझाव दिया है कि उसके पिता (मृतक) कुछ असामाजिक तत्वों की संगति में रहते थे, इसलिए उन्हें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मार दिया गया और केवल पूर्व दुश्मनी के कारण अपीलकर्ता को झूठा फंसाया गया है, जिसका उसने खंडन किया है।

30. इस मोड़ पर, बचाव पक्ष की गवाह प्रेमवती के साक्ष्य का संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा, जो मृतक की पत्नी है और साथ ही सुचक (अ. सा.-4) की मां भी है। बचाव पक्ष की गवाह (सुचक की मां) के साक्ष्य का अवलोकन करने पर सुचक (अ. सा.-4) के साक्ष्य से पूरी तरह से असंगत संस्करण सामने आएगा, क्योंकि उसने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका बेटा प्रेम लाल हरिजन बाजार से घर वापस आया था और शाम को ही उसने सुना कि उसका पति सड़क पर गिर गया है और मृतक को सड़क पर मृत पाया। उसे इस बात का कोई पता नहीं था कि उसके पति की हत्या किसने की और उसने इस तथ्य से स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि

अपीलकर्ता प्रभा देवी ने मृतक की हत्या की थी। सुचक की मां का ऐसा साक्ष्य घटना के प्रत्यक्षदर्शी के रूप में सुचक की विश्वसनीयता को और भी कम कर देता है। बचाव पक्ष की गवाह प्रेमवती मृतक की पत्नी और सुचक की मां प्रतीत होती है, इसलिए मामले में उसके बयान पर संदेह करने का कोई ठोस कारण नहीं है।

31. हमने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक (अ. सा.-5) के साक्ष्य का भी अवलोकन किया है और उसके परीक्षण से हमें पता चला है कि निःसंदेह मृत्यु का कारण धारदार हथियार से गर्दन पर लगी चोट बताया गया है, लेकिन साथ ही मृत्यु के बाद से बीता समय 24 घंटे के भीतर बताया गया है। अब इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित घटना का समय चिकित्सक (अ. सा.-5) के इस मत के अनुरूप है या नहीं। घटना दिनांक 27.06.2007 को सायं लगभग 5.45 बजे घटित होना बताया गया है, जिसके पश्चात 27.06.2007 को सायं 3.00 बजे एफआईआर दर्ज की गई, जबकि मृतक के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 28.06.2007 को प्रातः 11.00 बजे किया गया, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी स्पष्ट है, जिसे प्रदर्श-2 के रूप में अंकित किया गया है। चिकित्सक द्वारा दी गई यह राय, मौखिक साक्ष्य के अनुसार, आंखों से दिए गए कथन से पूरी तरह मेल नहीं खाती, क्योंकि मौत के बाद से लगभग 41 घंटे बीत चुके हैं और लगभग यह कम से कम 36 घंटे से अधिक हो सकता है। चिकित्सक (अ. सा.-5) की इस राय के मद्देनजर, घटना की तारीख और समय गंभीर रूप से संदिग्ध हो जाता है।

32. बचाव पक्ष ने दो दस्तावेज भी अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें प्रदर्श-ए और बी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो मदन लाल

हरिजन (अपीलार्थी के पति) को एसएसटी संख्या 1074/2007 में दोषमुक्त करने के निर्णय की प्रमाणित प्रति है और प्रेम लाल हरिजन (अ. सा.-4) का बयान एसएसटी संख्या 1074/2007 में दर्ज किया गया है, जिसमें उसने घटना का प्रत्यक्षदर्शी विवरण नहीं दिया है, बल्कि उसने कहा है कि जब वह अपने घर के आंगन में था, तो उसने शोर सुना और उसके बाद उसने अपने पिता की गर्दन पर कटे हुए घाव के साथ शव देखा। प्रतिपरीक्षण में उसने यह भी कहा है कि पुलिस ने एक सादे कागज पर उसके हस्ताक्षर लिए थे। तथापि, बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत इन दो दस्तावेजों, प्रदर्श-ए और बी के संबंध में, हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के मद्देनजर वर्तमान मामले पर निर्णय देते समय हम इन पर विचार नहीं कर सकते, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि अभियोजन पक्ष के गवाहों का इन दस्तावेजों से सामना नहीं कराया गया है।

33. एक अन्य तथ्य जिसने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, वह है धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अपीलकर्ता का बयान। अभियुक्त/अपीलकर्ता से पूछा गया प्रश्न इस आरोप के संबंध में है कि घटना की तारीख को अभियुक्त द्वारा महेश लाल हरिजन (मृतक) पर पीछे से तलवार से वार किया गया था। चिकित्सक (अ. सा.-5) के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पूरी गर्दन पर एक कटा हुआ घाव था, जिसमें सभी संरचनाएं कटी हुई थीं, केवल गर्दन के पीछे की त्वचा जुड़ी हुई थी। इस तरह की चोट, बिना किसी अस्पष्टता के, यह दर्शाती है कि मृतक पर सामने से एक तेज काटने वाले उपकरण/हथियार से वार किया गया है और चिकित्सक द्वारा बताई गई ऐसी चोट पीछे से किसी भी वार से संभव नहीं होगी।

34. जांच अधिकारी की जांच न किए जाने के कारण बचाव पक्ष को नुकसान पहुंचने के मुद्दे पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि यह अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एक वैध तर्क है। यह सच है कि जब रिकॉर्ड पर पूरी तरह से ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो जांच अधिकारी की जांच न किए जाने से अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहां एक ऐसा मामला है जहां पूरा अभियोजन पक्ष एक बाल गवाह की एकमात्र गवाही पर टिका हुआ है, जो मुकदमे के दौरान घटना के तरीके में पर्याप्त और अनदेखी न किए जा सकने वाले सुधार और अलंकरण करता है और एक ऐसा मकसद भी पेश करता है जो वर्तमान मामले के फर्दबयान होने के कारण उसके शुरुआती बयान में अनुपस्थित था। यद्यपि, उन्होंने फर्दबयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की है, जिसे प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया है, यह ध्यान देने योग्य है कि इस दस्तावेज को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए न तो एसआई, सी. कुमार, जिन्होंने सुचक का फर्दबयान दर्ज किया था और न ही उक्त फर्दबयान के दो गवाहों की अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह के रूप में जांच की गई है। इसके विपरीत, अजीब बात यह है कि फर्दबयान के गवाहों में से एक मदन लाल हरिजन को बाद में सुचक द्वारा मामले में आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद उन्हें धारा 319 दं.प्र.सं. के तहत एक अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाया गया था और एक अलग मुकदमे का सामना करना पड़ा था, हालांकि उन्हें अंततः मुक्त कर दिया गया था। इसके अलावा, हम यह भी पाते हैं कि न तो औपचारिक एफआईआर और न ही उससे जुड़ी जब्ती सूची प्रदर्शित की गई है और यह ठीक इसी कारण से है कि आई.ओ. गवाह के रूप में गवाही देने नहीं आया है। इस मामले में जब्ती सूची एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होती क्योंकि इससे

अपीलकर्ता के घर से उसके गद्दे/बिस्तर के नीचे से हत्या के हथियार यानी तलवार की बरामदगी की पुष्टि होती। हालांकि, एफआईआर में फर्दबयान के साथ संलग्न जब्ती सूची से पता चलता है कि इसे 27.06.2007 को दोपहर 12.10 बजे तैयार किया गया था। अपीलकर्ता के गद्दे के नीचे से पुलिस द्वारा तलवार की बरामदगी संदिग्ध प्रतीत होती है और विश्वास पैदा नहीं करती है। सुचक के साक्ष्य इस बिंदु पर स्पष्ट हैं कि मृतक की गर्दन पर तलवार से वार करने के बाद अपीलकर्ता भाग गया था। इस मामले को देखते हुए, यह बताने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है कि अपीलकर्ता के गद्दे के नीचे खून से सनी तलवार को छिपाने का अवसर कहाँ था और उसने इसे घर पर क्यों छोड़ दिया, जिससे यह जब्ती के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके। एक बार फिर, एसआई सी. कुमार, एसएचओ रौता कैंप, बिजबार, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जब्ती सूची तैयार की है और जिन दो गवाहों ने उक्त जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए हैं, की अनुपस्थिति में, इस मामले में उनकी जांच नहीं की गई है, जिससे उक्त जब्ती सूची पूरी तरह से अप्रामाणिक हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता के घर से बताई गई तारीख को हत्या के हथियार की जब्ती संदेह में पड़ जाती है, इसलिए यह साबित नहीं होता है।

35. हमने यह भी देखा है कि अपीलकर्ता के घर में कथित रूप से पड़े खून से सने चटाई, मृतक की फटी लुंगी आदि जैसे कई अन्य आपत्तिजनक सामान जब्त नहीं किए गए हैं, जो घटना की उत्पत्ति, घटना के स्थान और घटना के तरीके को साबित करने के लिए वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होते। यह जांच अधिकारी ही होता, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ऐसे सवाल पूछे जाते कि क्या ऐसी वस्तुएं घटना स्थल पर मौजूद थीं और क्या

जांच अधिकारी ने अन्य स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए थे या नहीं और यदि हां, तो मामले में उनका क्या संस्करण था। बेशक, बचाव पक्ष को जांच अधिकारी से ऐसी जानकारी हासिल करने का अवसर नहीं मिला।

36. इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि फर्दबयान को काफी देरी के बाद दर्ज किया गया है, जिससे अभियोजन पक्ष को इसे दर्ज करने से पहले उचित विचार-विमर्श करने का पर्याप्त समय मिल गया, बचाव पक्ष को आई.ओ. से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि यह जानकारी प्राप्त की जा सके कि पुलिस घटना स्थल पर वास्तव में कब पहुंची, क्या वर्तमान फर्दबयान दर्ज किए जाने से पहले अभियोजन पक्ष के किसी गवाह ने कोई अन्य बयान दिया था, फर्दबयान दर्ज करने में देरी का क्या कारण था और फर्दबयान दर्ज करते समय कौन-कौन लोग मौजूद थे। आई.ओ. की जांच के अभाव में, जांच के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए 161 दं.प्र.सं. के बयानों के संबंध में कोई विरोधाभास नहीं निकाला जा सका।

37. मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, हम सुरक्षित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि जांच अधिकारी की जांच के अभाव में, एफआईआर से लेकर जब्ती सूची और जांच रिपोर्ट तक सभी दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रामाणिकता गंभीर रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है, इसलिए उन्हें साबित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के *लहू कमलाकर पाटिल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 6 एससीसी 417* में रिपोर्ट किया गया, के मामले में पारित निर्णय को ध्यान में रखना प्रासंगिक होगा, जो इस मुद्दे से निपटता है कि जांच अधिकारी की जांच न करना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए कब घातक हो जाता है।

नीचे दिए गए उक्त निर्णय के पैरा संख्या 18 को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:

-

“18. कानून की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अ. सा. 1 की गवाही की सराहना की जानी चाहिए। उसने एफआईआर में अपने हस्ताक्षर को स्वीकार किया है, लेकिन यह बहाना दिया है कि यह एक खाली कागज पर लिया गया था। इसे जांच अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता था, लेकिन किसी कारण से, अभियोजन पक्ष द्वारा जांच अधिकारी की जांच नहीं की गई है। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है। *बिहारी प्रसाद बनाम बिहार राज्य* [(1996) 2 एससीसी 317: 1996 एससीसी (क्रि) 271] में, इस न्यायालय ने कहा है कि जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है, खासकर, जब अभियुक्त द्वारा कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है। *बहादुर नायक बनाम बिहार राज्य* [(2000) 9 एससीसी 153: 2000 एससीसी (क्रि) 1186] में यह माना गया है कि जब कोई भौतिक विरोधाभास सामने नहीं आया है, तो अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा कोई परिणाम नहीं लाती है और ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि न तो विचारण न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी की गैर-परीक्षा के मुद्दे पर गहराई से विचार किया है। रिकॉर्ड पर लाई गई पूरी सामग्री के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वर्तमान मामला ऐसा है जहाँ हम ऐसा सोचने के लिए इच्छुक हैं, खासकर जब सुचक ने कहा है कि हस्ताक्षर तब लिए गए थे जब वह नशे की हालत में था, पंच गवाह अपने बयान से पलट गया था और अदालत में पेश किए गए कुछ सबूत कोड की धारा 161

के तहत दर्ज किए गए बयान में जगह नहीं पाते थे। इस प्रकार, इस न्यायालय ने *अरविंद सिंह बनाम बिहार राज्य* [(2001) 6 एससीसी 407: 2001 एससीसी (क्रि) 1148], *रतनलाल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य* [(2007) 13 एससीसी 18: (2009) 2 एससीसी (क्रि) 349] और *रविश्वर मांझी बनाम झारखंड राज्य* [(2008) 16 एससीसी 561: (2010) 4 एससीसी (क्रि) 50] में कुछ परिस्थितियों की व्याख्या की है, जहां जांच अधिकारी की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि वर्तमान मामला ऐसा है जहां जांच अधिकारी की जांच की जानी चाहिए थी और उनकी जांच न किए जाने से अभियोजन पक्ष के मामले कमजोर हुई है।”

38. वर्तमान मामले के तथ्यों में भी, हमने पहले ही नोट किया है कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह जो एक बाल गवाह भी है, के फर्दबयान को दर्ज करने में काफी देरी हुई है, जिसके साक्ष्य में विसंगतियां और अलंकरण हैं क्योंकि उसने मुकदमे के दौरान कहानी को विकसित किया है, जो फर्दबयान में दिए गए प्रारंभिक बयान से अलग है, साथ ही इस तथ्य के साथ कि अन्य गवाहों ने भी अपना बयान बदल दिया है और कोई वस्तुनिष्ठ साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। वर्तमान मामले में जांच अधिकारी की जांच से रिकॉर्ड सही हो जाते और कई सवालों के जवाब मिल जाते जो अनुत्तरित रह गए हैं।

39. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि इस तरह की जघन्य हत्या का मकसद बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ है। मकसद के मुद्दे के संबंध में स्थिति स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में मकसद की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है, क्योंकि यह अपराध करने वाले व्यक्ति के दिमाग में बंद होता है, हालांकि एक बार जब मकसद, यहां तक कि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में भी अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया जाता है, तो

न्यायालय की अंतरात्मा को उसके अस्तित्व और सत्यता से संतुष्ट होना पड़ता है। वर्तमान मामले में, हमें यह विचार करने की आवश्यकता है कि फर्दबयान किसी भी मकसद के बारे में पूरी तरह चुप है जिसके साथ अपराध किया गया होगा। हालांकि, अपने साक्ष्य के दौरान, सुचक (अ. सा.-4) ने एक मकसद पेश किया है जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता अपने पिता (मृतक) से 8,000 रुपये की राशि मांग रहा था। यह एक संभावना और एक उचित संभावना हो सकती है कि बाद में सुचक (अ. सा.-4) को घटना का मकसद बताने के लिए प्रशिक्षित किया गया हो।

40. यद्यपि बाद में प्रस्तुत विवाद के कारण पर विचार करते हुए, यह समझना आवश्यक है कि मामला अपीलकर्ता द्वारा मात्र 8,000/- रुपए की मांग तथा मृतक द्वारा उस समय उसे अदा करने में असमर्थता व्यक्त करना तथा यह कहना कि वह रविवार को उसे अदा कर देगा की बात से संबंधित था। हमें यह राय बनाने में कोई संकोच नहीं है कि यह एक अत्यंत कमजोर उद्देश्य है जिसके लिए हत्या का अपराध किया गया होगा तथा वह भी इतनी क्रूरता से तलवार से वार करके। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने कोई विशेष कारण नहीं बताया है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने मृतक पर इतना भयानक हमला क्यों किया, जिससे मृतक की गर्दन उसके शरीर से लगभग अलग हो गई। इस पृष्ठभूमि में, हम बचाव पक्ष से सहमत हैं कि सबसे पहले, अभियोजन पक्ष द्वारा उद्देश्य बिल्कुल भी साबित नहीं किया गया है तथा दूसरे, मामले के तथ्यों के आधार पर सुझाया गया उद्देश्य अत्यंत अस्पष्ट तथा समझ से परे प्रतीत होता है।

41. इससे पहले कि हम सुचक (अ. सा.-4) के मौखिक साक्ष्य का विश्लेषण करना शुरू करें, जो न केवल एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है बल्कि एक

बाल गवाह भी है, जिसकी गवाही पर पूरा अभियोजन मामला टिका हुआ है, यह समझना आवश्यक होगा कि एक बाल गवाह की गवाही को कैसे देखा और सराहा जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह देखे और विश्लेषण करे कि क्या ऐसे गवाह का साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय और विश्वसनीय है या क्या गवाह को समझाने की पर्याप्त गुंजाइश है। बाल गवाह की गवाही के संबंध में कानून भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायिक घोषणाओं में निर्धारित किया गया है। *भगवान सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य* के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ (2003) 3 एससीसी 21 में रिपोर्ट की गई है कि बाल गवाह की योग्यता को ध्यान में रखा गया है और माना गया है कि बाल गवाह की एकमात्र गवाही पर भरोसा करना खतरनाक होगा यदि यदि उसे घटना के तुरंत बाद नहीं किया गया है, जिससे उसे प्रशिक्षित करने की संभावना नहीं है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 और 22 नीचे उद्धृत हैं:-

“19. कानून बच्चे को एक सक्षम गवाह के रूप में मान्यता देता है, लेकिन एक बच्चा, विशेष रूप से छह वर्ष की इतनी कम उम्र में, जो अपरिपक्व समझ के कारण घटना की प्रकृति के बारे में उचित राय बनाने में असमर्थ है, उसे अदालत द्वारा गवाह नहीं माना जाता है, जिसकी एकमात्र गवाही पर अन्य पुष्टिकारी साक्ष्य के बिना भरोसा किया जा सकता है। बच्चे के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है क्योंकि वह आसानी से बहकावे में आ सकता है। इसलिए, अदालत हमेशा उसकी गवाही के लिए अन्य साक्ष्यों से पर्याप्त पुष्टि की उम्मीद करती है। (देखें *पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* [(1998) 7 एससीसी 177: 1998 एससीसी (क्रि) 1561])

22. बाल गवाह की एकमात्र गवाही पर भरोसा करना खतरनाक है क्योंकि यह घटना के तुरंत बाद और उसे प्रशिक्षित करने की किसी भी संभावना से पहले उपलब्ध नहीं है। (*असम राज्य बनाम मफीजुद्दीन अहमद* [(1983) 2 एससीसी 14: 1983 एससीसी (क्रि) 325] के पैरा 14-15 देखें।) उस मामले में बाल गवाह के साक्ष्य की सराहना की गई और उसे अविश्वसनीय माना गया: (एससीसी पृष्ठ 20)

“14. दूसरा प्रत्यक्ष साक्ष्य मृतक के 7 वर्षीय पुत्र अ. सा. 7 का बयान है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है:

‘... बाल गवाह का साक्ष्य हमेशा खतरनाक होता है जब तक कि वह घटना के तुरंत बाद और सिखाई-पढ़ाई और रटाने-पढ़ाने की किसी भी संभावना से पहले उपलब्ध न हो।’

15. अ. सा. 7 के बयान को ध्यान से देखने पर हमें यकीन हो जाता है कि वह पूरे समय झिझक रहा था और उसने अपने नाना या अपने चाचा के कहने पर ही बयान दिया है। यह सच है कि हम इस गवाह के बयान में बहुत अधिक निरंतरता की उम्मीद नहीं कर सकते, जो केवल 7 साल का लड़का था। लेकिन उसके बयान के लहजे से यह स्पष्ट है कि वह एक स्वतंत्र एजेंट नहीं था और उसे हर चरण में किसी न किसी ने सिखाया-पढ़ाया है।”

42. बाल गवाह के साक्ष्य के साक्ष्य मूल्य पर *पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* के मामले में भी विचार किया गया था, जिसकी रिपोर्ट (1998) 7 एससीसी 177 में की गई थी, जिसमें यह माना गया था कि बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए क्योंकि बाल गवाह आसानी से बहकावे में आ सकते हैं। उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 11 और 12 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

“11.कानून कहता है कि बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सावधानीपूर्वक और अधिक सतर्कता से किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा दूसरों द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित होने के लिए अतिसंवेदनशील होता है और इस प्रकार बाल गवाह आसानी से बहकावे में आ जाता है।

12. न्यायालयों ने निर्धारित किया है कि बाल गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करने से पहले उसे पर्याप्त पुष्टि मिलनी चाहिए। यह कानून से अधिक व्यावहारिक ज्ञान का नियम है।”.

43. हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *दिगम्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019) 4 एससीसी 522* के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देते हुए, उसी के पैराग्राफ संख्या 21 और 22 को उद्धृत कर सकते हैं:-

“21. अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से बाल गवाह चांदनी की गवाही पर निर्भर है, जिसकी अ. सा. 8 के रूप में जांच की गई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 गवाही देने वाले व्यक्तियों की योग्यता को नियंत्रित करती है, जिसमें बाल गवाह भी शामिल है। बाल गवाह का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर हो सकती है। व्यवहार में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर मामले में बाल गवाह के साक्ष्य को अन्य साक्ष्यों द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए, तभी दोषसिद्धि की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन विवेक के रूप में, न्यायालय हमेशा रिकॉर्ड पर रखे गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से ऐसे साक्ष्य की पुष्टि करना वांछनीय पाता है। बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन करते समय न्यायालय को केवल एक सावधानी रखनी होती है कि गवाह विश्वसनीय होना चाहिए।

22. इस न्यायालय ने लगातार माना है कि बाल गवाह के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चा दूसरों द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित हो सकता है और वह आसानी से बहकावे में आ सकता है। इसलिए, बाल गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करने से पहले उसे पर्याप्त पुष्टि मिलनी चाहिए। यह कानून से ज्यादा व्यावहारिक बुद्धि का नियम है।

44. *के. वेंकटेश्वरलू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* के मामले में, (2012) 8 एससीसी 73 में रिपोर्ट की गई, बाल गवाह के साक्ष्य के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, साथ ही बाल गवाह के साक्ष्य की पुष्टि की तलाश की गई है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि बच्चा प्रशिक्षित नहीं है और उसके साक्ष्य में सच्चाई है। उक्त निर्णय का पैराग्राफ 9 प्रासंगिक होने के कारण नीचे उद्धृत किया जा रहा है:--

“9. इस मामले में कई बाल गवाहों पर भरोसा किया गया है। बाल गवाह के साक्ष्य की गहन जांच की जानी चाहिए और उसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बच्चा उससे पूछे गए प्रश्न को समझता है और वह तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है (साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 देखें)। एक बाल गवाह, अपनी कम उम्र के कारण, एक लचीला गवाह होता है। उसे धमकी, जबरदस्ती या प्रलोभन से आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसलिए, अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि संबंधित परिस्थितियाँ यह नहीं दिखाती हैं कि बच्चा किसी के प्रभाव में काम कर रहा था या उसे धमकी या जबरदस्ती दी गई थी। बाल गवाह के साक्ष्य पर तभी भरोसा किया जा सकता है जब अदालत अपनी विशेषज्ञता और साक्ष्य का मूल्यांकन करने की क्षमता के साथ इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि बच्चे को प्रशिक्षित नहीं किया गया है और उसके साक्ष्य में सच्चाई

है। किसी बाल गवाह के साक्ष्य के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों से पुष्टि की तलाश करना सुरक्षित और विवेकपूर्ण है, क्योंकि साक्ष्य देते समय कोई बच्चा अपनी कल्पना को बढ़ावा दे सकता है और अपने बयान को बढ़ा-चढ़ाकर बता सकता है या फिर वह डर सकता है और सच नहीं बता सकता है या अदालत में अपने बयान के परिणामों को जाने बिना वही दोहरा सकता है जो उसे कहने के लिए कहा गया है। अदालत द्वारा उस पर भरोसा करने का फैसला करने से पहले रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों की पृष्ठभूमि और संदर्भ में बाल गवाह के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना आवश्यक है।”

45. बाल गवाह के साक्ष्य की विश्वसनीयता के संबंध में एक अन्य कारक जिस पर विचार किया जाना है, वह यह है कि विचारण न्यायालय को अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि नाबालिग गवाह से पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है, जो जवाब देने और पूछे गए प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। विद्वान ट्रायल कोर्ट की यह संतुष्टि कुछ प्रारंभिक प्रश्नों पर आधारित है, जो बाल गवाह से पूछे जाने चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि गवाह प्रश्नों को समझने में सक्षम है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 के अनुसार कुछ हद तक तर्कसंगतता के साथ उनका उत्तर दे सकता है। इस संबंध में, हम **प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में, **2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 777** में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का संदर्भ देना चाहते हैं, जिसके पैराग्राफ संख्या 9, 10 और 11 नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

“9. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि बाल गवाह की गवाही की पुष्टि करना कोई नियम नहीं है, बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय

है। कम उम्र के बाल गवाह को आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। हालाँकि, यह अपने आप में बाल गवाह के साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय को बाल गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए। न्यायालय को इस प्रश्न पर अपना दिमाग लगाना चाहिए कि क्या बाल गवाह को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना है। इसलिए, न्यायालय द्वारा बाल गवाह के साक्ष्य की जाँच सावधानी और सतर्कता के साथ की जानी चाहिए।

10. नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले न्यायिक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछे ताकि यह पता लगाया जा सके कि नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है या नहीं और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं। न्यायाधीश को यह संतुष्ट होना चाहिए कि नाबालिग प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने में सक्षम है और सच बोलने के महत्व को समझता है। इसलिए साक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसे नाबालिग से उचित प्रश्न पूछकर उसकी उचित प्रारंभिक जांच करनी होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है या नहीं और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है या नहीं। प्रारंभिक प्रश्न और उत्तर रिकॉर्ड करना उचित है ताकि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय की राय की सत्यता की जांच कर सके।

11. मामले के तथ्यों के अनुसार, नाबालिग की प्रारंभिक जांच बहुत ही अधूरी है। नाबालिग से केवल तीन प्रश्न पूछे गए थे, जिसके आधार पर विद्वान सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गवाह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। इसलिए, उसे शपथ दिलाई गई। उससे पूछे गए प्रश्न निम्नलिखित हैं:—

“प्र. आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं?”

उत्तर- मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बड़वासनी में पढ़ रहा हूँ।

प्र. आपके पिता का व्यवसाय क्या है?

उत्तर- मेरे पिता गोहनबा में हनुमान नामक मंदिर में पुजारी हैं।

प्र. क्या सच बोलना चाहिए या झूठ?

उत्तर- सच।”

46. अब सबसे पहले वर्तमान मामले में बाल गवाह से पूछे गए प्रारंभिक प्रश्नों पर आते हुए, हम उक्त प्रश्न और उत्तर को उद्धृत करना चाहेंगे:-

“प्रश्न – पढ़ना जानते हैं?

उत्तर – यस सर

साक्षी शपथ स्वयं पढ़कर सुनाते हैं।”

47. अ. सा.-4 से पूछे गए उपर्युक्त प्रश्न का मात्र अवलोकन करने से पता चलता है कि उक्त गवाह से केवल यह पूछा गया है कि क्या वह पढ़ना जानता है, जिसका उसने सकारात्मक उत्तर दिया है और फिर उसे शपथ पढ़ने के लिए कहा गया, इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया कि क्या वह शपथ की विषय-वस्तु को समझता है। विद्वत विचारण न्यायालय ने इस गवाह की क्षमता का आकलन करने के लिए कुछ और प्रासंगिक प्रश्न पूछने की भी जहमत नहीं उठाई है, न ही उसके बयान की रिकॉर्डिंग के दौरान गवाह के किसी भी व्यवहार को कहीं भी दर्ज किया गया है।

48. पूछे गए प्रारंभिक प्रश्न की अस्पष्ट प्रकृति को देखते हुए, हमारा यह स्पष्ट मत है कि निचली अदालत ने प्रश्नों को समझने और तर्कसंगत उत्तर देने की गवाह की योग्यता और क्षमता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट नहीं किया है और इस संबंध में उसकी संतुष्टि भी दर्ज नहीं की है, जिससे ऐसे गवाह की विश्वसनीयता पर संदेह होने की गुंजाइश बनी हुई है।

49. जहां तक बाल साक्षी के साक्ष्य की अधिक सावधानी से जांच करने का प्रश्न है, हमने फर्दबयान में अ. सा.-4 के प्रारंभिक बयान तथा परीक्षण के दौरान दर्ज साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकाला है कि यह साक्षी अपने कथन में सुसंगत नहीं है तथा यह असंगतियों, अतिशयोक्ति तथा अलंकरणों से भरा हुआ है। इस तथ्य के अतिरिक्त कि सुचक (अ. सा.-4), एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी तथा बाल साक्षी का फर्दबयान घटना के अगले दिन 16 घंटे से अधिक की पर्याप्त देरी के पश्चात दर्ज किया गया है, अन्य उपस्थित परिस्थितियां जैसे कोई अन्य प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, अन्य गवाहों द्वारा उसके द्वारा बताई गई कहानी का वर्णन करना तथा उनमें से अ. सा.-1 तथा अ. सा.-2 द्वारा बाद में स्मरण करने पर यह कहना कि उन्हें घटना के बारे में दो दिन बाद पता चला, सभी विचारणीय प्रासंगिक परिस्थितियाँ हैं। यदि हम अ. सा.-1 और अ. सा.-2 के बयानों को ध्यान में न भी लें, क्योंकि यह तीन साल बाद दर्ज किया गया था, फिर भी दोनों गवाहों के साक्ष्य बहुत ही अधूरे लगते हैं और विश्वास पैदा नहीं करते हैं। एक अन्य गवाह अ. सा.-3 का साक्ष्य जो कि सुचक (अ. सा.-4) द्वारा दी गई घटनाओं के वर्णन पर आधारित है, भरोसे के लायक नहीं लगता है क्योंकि उसके साक्ष्य के अनुसार, वह संबंधित समय पर मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए घर से बहुत दूर चला गया था, इसलिए घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति भी बेहद संदिग्ध लगती है। इसके अलावा, वह मृतक का भाई और सुचक का चाचा भी है। उनके साक्ष्य में इस तथ्य का भी उल्लेख है कि घटनास्थल पर लगभग 100 से 150 लोग एकत्र हुए थे, जिनमें से कुछ के नाम उन्होंने बताए हैं, हालांकि, इनमें से किसी भी गवाह की न तो प्रत्यक्षदर्शी के रूप में और न ही सुनी-सुनाई बातों के आधार पर जांच की गई है। इस प्रकार, अ. सा.-1, अ. सा.-2 और अ. सा.-

3 के साक्ष्य, जो दावा करते हैं कि वे सूचना देने वाले द्वारा शोर मचाने पर घटनास्थल पर पहुंचे थे, इस न्यायालय के मन में प्रासंगिक समय पर घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं क्योंकि यह समझ से परे है कि इन गवाहों को इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित करने से किस बात ने रोका और यदि उन्होंने सूचना भेजी थी, तो पुलिस अगले दिन ही घटनास्थल पर क्यों पहुंची और लगभग 10.30 बजे फर्दबयान क्यों दर्ज किया। इसलिए, उपरोक्त सुनी-सुनाई बातों पर आधारित गवाहों अ. सा.-1, अ. सा.-2 और अ. सा.-3 ने एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी (बाल साक्षी) द्वारा दिए गए साक्ष्य को बल या पुष्टि नहीं दी है, जिससे उसकी गवाही पर भरोसा किया जा सके।

50. घटना स्थल पर सुचक (अ. सा.-4) की उपस्थिति तथा प्रत्यक्षदर्शी के रूप में घटना को देखने की बात, उसकी अपनी मां के साक्ष्य से और भी अधिक निराधार हो जाती है, जिसकी बचाव पक्ष की गवाह के रूप में जांच की गई है। बचाव पक्ष की गवाह प्रेमवती ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका बेटा प्रेम लाल हरिजन (सुचक /अ. सा.-4) उसके साथ घर पर था, जब उसने शाम को सुना कि उसके पति की मौत सड़क पर हो गई है तथा उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हमलावर कौन था। इस संबंध में, हम यह भी कह सकते हैं कि बचाव पक्ष के गवाह के साथ अभियोजन पक्ष के गवाह के समान व्यवहार किया जाना चाहिए तथा यह एक स्थापित कानून है कि बचाव पक्ष के गवाहों के साथ भी वही व्यवहार किया जाना चाहिए, जो अभियोजन पक्ष के गवाह के साथ किया जाएगा। इस संबंध में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *राज्य उत्तर प्रदेश बनाम बाबू राम* के मामले में,

(2000) 4 एससीसी 515 में रिपोर्ट किया गया, पैराग्राफ 23 में निम्नानुसार अवलोकन की है:-

"23. गवाहों के बयान, चाहे वे अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष या अदालत के गवाह के रूप में जांचे गए हों, मामले में मौखिक साक्ष्य हैं और इसलिए उनकी जांच बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के की जाएगी। कोई भी गवाह केवल इसलिए बेहतर व्यवहार पाने का हकदार नहीं है क्योंकि उसकी जांच अभियोजन पक्ष के गवाह या यहां तक कि अदालत के गवाह के रूप में की गई थी। सभी गवाहों के बयानों के संबंध में न्यायिक जांच की आवश्यकता है, जिसके लिए गवाहों की उन विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

कानून की यही स्थिति **मुंशी प्रसाद बनाम बिहार राज्य** के मामले में भी दोहराई गई है, जिसकी रिपोर्ट (2002) 1 एससीसी 351 में किया गया है।

51. इस प्रकार, एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी, सुचक (अ. सा.-4) जो एक बाल गवाह भी है, के साक्ष्य की जांच करते हुए, हम इस सुविचारित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह बाल गवाह, जिसकी गवाही पर पूरा अभियोजन टिका हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह** के मामले में निर्धारित दो शर्तों की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया है, जिसकी रिपोर्ट 2025 एससीसी ऑनलाइन 390 में दी गई है, जो इस प्रकार हैं: -

इसके अंतर्गत:-

- (i) गवाहों को प्रशिक्षित किए जाने की संभावना/अवसर और
- (ii) प्रशिक्षण की उचित संभावना।

52. सुचक के बयान को दर्ज करने में देरी और उसके साक्ष्य की कोई विश्वसनीय स्वतंत्र पुष्टि नहीं होना तथा बचाव पक्ष के गवाह के रूप में उसकी अपनी मां का उपस्थित होना घटना स्थल पर सुचक की उपस्थिति को पूरी तरह से नकारना, जिससे प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में उसके साक्ष्य को नष्ट करना, इस बात का संकेत है कि अ. सा.-4 की गवाही में कोई सच्चाई नहीं है और पूरी संभावना है कि उसे बहकाया गया है।

53. इस प्रकार, हम पाते हैं कि उक्त गवाह, अर्थात् अ. सा.-4, को प्रशिक्षित किए जाने की पूरी संभावना और अवसर था और उसके साक्ष्य में पर्याप्त सुधार और अलंकरण के माध्यम से उसके साक्ष्य की अस्थिर प्रकृति हमें इस अनिच्छुक निष्कर्ष पर ले जाती है कि उसके साक्ष्य में सभी चरणों में प्रशिक्षित किए जाने के निशान पाए गए हैं।

54. जहाँ तक एकल साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मुद्दे पर कानून का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई गवाह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है तो एकल प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है। यह भी एक तथ्य है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए, न कि गिना जाना चाहिए, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का अधिदेश है और केवल यह निर्धारित किया जाना है कि क्या यह ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, साक्ष्य की सराहना इस कानूनी व्याख्या की कसौटी पर की जानी चाहिए। एकल प्रत्यक्षदर्शी, अ. सा.-4, ऊपर बताए गए कई कारणों से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, इसलिए ऐसे गवाह के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती।

55. कानूनी उक्ति "फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ओमिनिस"

(एक चीज में गलत, हर चीज में गलत) स्वीकार्य रूप से यहां अभ्यास का नियम नहीं है और यह एक तथ्य है कि गवाह चीजों को अतिरंजित करते हैं या कुछ चूक करते हैं, लेकिन सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यदि यह प्रतीत होता है कि ये चूक, अतिशयोक्ति और अलंकरण मामले के मूल में जाते हैं, तो वे विचार के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा इस तरह के साक्ष्य पर निर्मित पूरी इमारत ध्वस्त हो जाती है। अभियोजन पक्ष को एक पूरी नई कहानी का पुनर्निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

56. वर्तमान संदर्भ में, एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह (अ. सा.-4)

ने महत्वपूर्ण चूक की है, उसकी फर्दबयान घटना के 16 घंटे से अधिक समय बाद दर्ज की गई थी और उसने मुकदमे के दौरान कहानियों पर और अधिक विचार किया है, अपनी गवाही में नए तथ्य पेश किए हैं और लोगों को नई भूमिकाएं सौंपी हैं, जो वस्तुतः एक नई कहानी बनाने के बराबर हैं।

57. आपराधिक मामले में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह

सुनिश्चित करे कि मात्र अनुमान या संदेह कानूनी सबूत की जगह न लें। वाक्यांश "सत्य हो सकता है" एक संभावना या अनिश्चितता को दर्शाता है, जबकि "सत्य होना चाहिए" एक निश्चितता या तार्किक आवश्यकता को इंगित करता है। अंतर निश्चितता की डिग्री या कथन का समर्थन करने के लिए आवश्यक साक्ष्य के स्तर में निहित है। "सत्य हो सकता है" या "सत्य होना चाहिए" के बीच की बड़ी मानसिक दूरी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्य के माध्यम से कवर किया जाना चाहिए, इससे पहले

कि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाए, जिसे तत्काल मामले में पाटने/पार करने का प्रयास किया गया प्रतीत नहीं होता है।

58. इस प्रकार, हम प्रेम लाल हरिजन (अ. सा.-4) के साक्ष्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जो हत्या की घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जैसा कि उन्होंने पेश किया है। अन्य गवाहों, अ. सा.-1, 2 और 3 की गवाही, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप को सभी उचित संदेह से परे साबित करने के लिए अ. सा.-4 के साक्ष्य को आवश्यक समर्थन नहीं देती है। अभियोजन पक्ष के मामले में कई खामियाँ हैं जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है और उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उनका मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अभियोजन पक्ष के मामले में स्पष्ट रूप से कमजोरियों की ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता संदेह के लाभ का हकदार है।

59. इस प्रकार, पूरे मामले का समग्र परिप्रेक्ष्य लेते हुए, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता से उभरते हुए, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है और पूर्वगामी कारणों से, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ सभी उचित संदेहों से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा है, इसलिए संदेह का लाभ देते हुए, अपीलकर्ता को आरोप से बरी किया जाना चाहिए।

60. तदनुसार, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि का निष्कर्ष, हमारी राय में, संधारणीय नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है, इसलिए, सत्र वाद संख्या 1074/2007 (रौता थाना वाद संख्या 27/2007 से उत्पन्न) में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III, पूर्णिया द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश दिनांक 29.06.2025 को अपास्त किया जाता है।

61. एकमात्र अपीलकर्ता, जो हिरासत में है, को निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल जेल से रिहा किया जाए।

62. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

(सोनी श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति में सहमत हूँ

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

अरविंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।